

पृष्ठ 1]

प्रयोग गजब, 20 अगस्त, 1983 ई० (ब्राह्मण)

(27) 1817

17 सितम्बर, 1981 ई०

सं० 3275/14-2-20 (17)-80-—बुकि अधिनियम संख्या 23 (2) 96-14-—अ-67, दिनांक 18 मार्च, 1968 द्वारा घोषित/अनुवृत्ति 'क' में निर्दिष्ट भूमि की भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) के अर्धीन आरक्षित वन बनाने का प्रस्ताव किया गया था;

और उक्त भूमि में अधिकारों के दावों को प्रस्तुत करने के बिना उक्त अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकताएँ पूरी नहीं हुईं;
और बुकि ऐसे कोई दावे स्वीकार नहीं करने वाले हैं, किन्तु अनुवृत्ति 'क' में दी गयी सीमा तक टिप्पणियों की गयी हैं;
अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 20 के अर्धीन अधिकारों का प्रयोग करते रहनेवाले, दिनांक 15 सितम्बर, 1983 में अनुवृत्ति 'क' में उल्लिखित उक्त भूमि को आरक्षित वन घोषित करने हैं।

अनुवृत्ति 'क' प्राप्त भूतलकी
स्थिति एवं क्षेत्रफल

क्रमांक	सहस्रीक	परपन्ना	ग्राम का नाम	गांवा संख्या	क्षेत्रफल	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
मिरजापुर	मिरजापुर	कसित	भतुलकी	426	0 16 0	जोड़ा कि विलुप्त होम
				427	1 0 0	अधिकरण में अंकित है
				428-भाग	2 9 0	
				429	0 18 0	
				430	0 10 0	
				431	0 5 0	
				432	3 5 0	
				433-भाग	3 2 0	
				434	1 3 0	
				435	1 15 0	
				436	0 3 0	
				437	1 2 0	
				438	0 2 0	
				439	0 4 0	
				811	0 18 0	
				813	0 18 0	
				842-भाग	1 7 0	
				843	12 15 0	
				844	1 2 0	
				845	0 16 0	
				846	1 7 0	
				847	1 10 0	
				854-भाग	4 0 0	
				859	0 14 0	
				860	0 3 0	
				861-भाग	167 0 0	
				862	1 6 0	
				863	20 14 0	
				864	0 3 0	
				865	4 18 0	
				866	0 18 0	
				867	2 0 0	
				868	1 3 0	
				869	9 19 0	
				870	1 10 0	
				871	1 15 0	

हस्ता प्रती
प्रमाणित
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर - वन प्रभाग
मीरजापुर

Manager (Tech.)
P I U, Varanasi

Manager (Tech.)
PIU, Varanasi

संलग्न प्रमाण पत्र, १७ जून, १९७२ ई० (अधिसूचना २७, १८९४ गज सं०)

१३७७

सं० १०८० १४-२० (२३)-७२-विज्ञापित संख्या २३ (२)-१६१५१४-ग-६७, दिनांक २४ जून, १९६७ में अधिसूचित अनुसूची "क" में विहित भूमि की, इंडियन कार्पस ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट संख्या १९, १९२७) के अधीन, रचित वन जंगल का प्रस्ताव किया गया था :

और, जंगल भूमि में अधिकारों के बावों को प्रस्तुत करने के लिए उक्त ऐक्ट द्वारा निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गयी है :

और, ऐसे कोई दावे स्वीकार नहीं किये गये हैं, किन्तु अनुसूची "क" में दी गई सीमा तक रिवायतें हो गयी हैं :

अतएव, उक्त ऐक्ट की धारा २० के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके, रा.प्राप्त दिनांक १ सितम्बर, १९७२ से अनुसूची "क" में दर्शावित उक्त भूमि को रचित वन घोषित करने हैं :

अनुसूची "क"

जैदी कटारी काग

स्थिति मीर खोबर

उपनाम का नाम	सहस्रीय का नाम	परामना का नाम	संलग्न का नाम	शेष संख्या	क्षेत्रफल
१	२	३	४	५	६
मिर्जापुर	मिर्जापुर	संलग्न	जैदी कटारी	१४१५	मी० चि० चि०
				१४१६	५ ८ ..
				१४१७	२ ५ ..
				१४१८	३ १५ ..
				१४१९	३ १५ ..
				१४२०	२ १७ ..
				१४२१	२ ८ ..
				१४२२	२ ४ ..
				१४२३	२ १० ..
				१४२४	६ ६ ..
				१४२५	१ १५ ..
				१४२६	२५ १ ..
				१४२७	१७ ७ ..
				१४२८	८ १० ..
				१४२९	१५ १४ ..
				१४३०	७ १२ ..
				१४३१	१ १४ ..
				१४३२	३ १२ ..
				१४३३	१ १४ ..
				१४३४	१ १४ ..
				१४३५	१ १४ ..
				१४३६	७ १५ ..
				१४३७	४ ११ ..
				१४३८	१ ८ ..
				१४३९	७ १५ ..
				१४४०	१ ५ ..
				१४४१	१ ५ ..
				१४४२	१ १० ..
				१४४३	१५ ५ ..
				१४४४	४ ३ ..
				१४४५	३ १२ ..
				१४४६	२ १५ ..
				१४४७	२० ११ ..
				१४४८	४ १५ ..
				१४४९	३ ११ ..
				१४५०	६ १५ ..
				१४५१	५ १५ ..
				१४५२	१ ११ ..
				१४५३	१ ११ ..
				१४५४	१ ११ ..
				१४५५	१ ११ ..
				१४५६	१ ११ ..
				१४५७	१ ११ ..
				१४५८	१ ११ ..
				१४५९	१ ११ ..
				१४६०	१ ११ ..
				१४६१	१ ११ ..
				१४६२	१ ११ ..

२३६ क

दाया प्रति
प्रमाणित

ग्रामीण वनाधिकारी
मीरजापुर - वन प्रभाग
मीरजापुर

Manager (Tech.)
P I U, Varanasi

क्र.सं.	मालिक का नाम	कतित	मेड़ी कठारी	बी०	बि०	बि०
---------	--------------	------	-------------	-----	-----	-----

मिर्जापुर	मिर्जापुर	कतित	मेड़ी कठारी	१४६५	१३	१३
				१४६६	१९	१३
				१४६७	६	६
				१४६८	१५	१२
				१४६९	१	१८
				१४७०	२	६
				१४७१	२	१९
				१४७४	१	१९
				१४७५	१	१७
				१४७६	३	७
				१४७७	१	१२
				१४७८	४	१०
				१४७९	१	८
				१४८०	२	४
				१४८३	६	३

१४८६	३६	७	१३
१४८७	१०	१	१३
१४८८	१०	१	१३
१४८९	२	१०	१३
१४९०	१	१९	१३
१४९१	२	१५	१०
१४९२	६	६	१३
१४९३	१०	१०	१३
१४९४	१२	१२	१३
१४९५	१	१०	१३
१४९६	१९	१९	१३
योग	३६१	९	१२
		या	२२५.९३ एकड़

सीमा का वर्णन

मुनारा सं०	मुनारे की स्थिति	अगले मुनारे की लगभग दिशा	लगभग विवरण	अगले मुनारे की लगभग दूरी जरीबों में	अगले मुनारे की सीमा का प्रकार	विवरण
१	२	३	४	५	६	७

०	ग्राम मेड़ी कठारी, महुवर, सिरावल के तिहड़ा से पत्थर नं० १ कायम किया गया	पू०द०	१२६.००	३०६.००	१८.३०	सीधी लाइन
१	वन क्षेत्र सं० १४१५ के उ० प० कोण एवं सड़क के किनारे पर	"	"	"	४४.४०	टेढ़ी लाइन
२	कृषि क्षेत्र सं० १४४८ के उ० प० कोण एवं सड़क के किनारे पर	पू०द०	१३१.३०	३११.३०	५.१०	सीधी लाइन
३	वन क्षेत्र सं० १४४९ सि० के अन्दर	द०प०	२१५.००	३५.००	११.००	"
४	कृषि क्षेत्र सं० १४४८ के पू० द० कोण पर	प०उ०	३१०.००	१३०.००	३.८०	"

जलवायु प्रयोगशाला, ११ अक्टूबर १९९४ ई० (सं०, १९, १९१६ गुप्त सं०)

[भाग]

१० ३७१४/३०-४-१३-४२-४३-समाहित, जयपुर
जयपुर मण्डल के जयपुर महापात्र श्री मुखी लाल का नाम बदलकर
श्री मुखी लाल खोखरी किया जा रहा है। इस सम्बन्ध
में जयपुर में जागरण हो रहा है। समाहिताखरी की इस अधि-
न्याय के जारी होने के ३० दिन के अन्दर सूचित किया जाय।

34 वन पी० मिड, सहायीक वन निदेशक एवं वीरधर निदेशक,
अधीनस्थ की विधिगत विधि 4037/36-7-5 (53) - 57, निदेश
30 नवम्बर, 1991 द्वारा संयुक्त निदेशक को वन वन वन वन
को 4100-125-4850-150-5300 में की गयी तदर्थ
प्रति की वही विधि में श्री राज्यपाल महोदय उक्त भूमि
को संयुक्त करते हैं।

२- इस सम्बन्ध में उक्त लघुगित विज्ञापित दिनांक ३० नवम्बर, १९८१ को कृपया उक्त सोना एक संशोधित समझौता कार्य ।

माया से,
'ए.० के.०' की आत्मा,
विशेष सन्धि :

अनुभाग-2
प्रश्न-1

19 नवम्बर, 1993 ई०

सं. ४४५९/३७-७-३-(१७)-७३-कर्मचारी राज्य
विमल बीमा; अतः विविधता सेवाएँ, जहाँ प्रवेश के अनुसार

वन विभाग

अनुभाग—२
विविध

23 फरवरी, 1984 ई०

23 फरवरी, 1984 ई०
 पृ० 3766/14-2-20(31)-1992-विशेष संख्या 2071/14-स-4(27)-89, दिनांक 24 मिलाकर,
 1969 में प्रथम अनुसूची "क" में विहित भूमि को भारतीय जन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या
 13) में 1927 के जमीन रीजिस्टर में दर्ज कराने का प्रस्ताव किया गया था।
 जोरदार भूमि के अधिकारियों के भरोसे का प्रस्ताव करने के बिना उक्त अधिनियम द्वारा विहित शर्तों का पालन
 नहीं है और ऐसे कड़े दंडे स्थापित नहीं किये गये हैं जिनसे अनुसूची "क" में जो सभी सीमांत स्थानों
 (जो राज्य सरकार को विवेकानुसार धातन की जा सकती हैं) की गई हैं।
 जहाँ जहाँ अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार उक्त भूमि को विनिम्न
 1 जून, 1984 में रीजिस्टर में दर्ज करती है।

अनुसूची - "क"

अन्य व्यापारों में भी लाभ—अच्छा

विभाग	प्रदेश	परमपत्र	अधिक/घात का भाग	पाट/संख्या	अंकक	वि. (वि. र.)
1	2	3	4	5	6	7
वि. वि. वि.	वि. वि. वि.	क. वि.	वि. वि.			
				735-भाग	100	वि. वि.
				768-भाग	100	वि. वि.
				830-भाग	100	वि. वि.
				831	2	वि. वि.
				832	4	वि. वि.
				833	5	वि. वि.
				834	15	वि. वि.
				835	6	वि. वि.
				836	7	वि. वि.
				837	8	वि. वि.
				838	9	वि. वि.
				839	10	वि. वि.
				840	11	वि. वि.

हाय प्रान्त
प्रमाणित

प्रमाणीय वनाधिकारी
मीरजापुर - वन प्रभा
मीरजापुर

Manager (Tech.)
P I U, Varanasi

उत्तर प्रदेश गवत, 3 दिसम्बर, 1977 ई० (अग्रहायण 13, 1599 चक्रसंक्र)

[भाग 1]

4 नवम्बर, 1977 ई०

सं० 7682, 14-2-20 (88)-77-अभियुक्तता संख्या 23 (3)-48/14-अ-68, दिनांक 10 अगस्त, 1968 द्वारा अधिसूचित अनुसूची 'क' में विहित भूमि को, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) के अधीन, आरक्षित वन बनाने का उद्देश्य विचार किया गया था;

और, उक्त भूमि में अधिकारों के दायों को प्रस्तुत करने के लिए वन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित अधिपति प्राप्त हो गई है;

और, ऐसे कोई दायें वनोद्धार नहीं किए गए हैं, किन्तु अनुसूची 'क' में की गई सीमा तक विस्थापित की गई हैं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 20 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते, राज्यपाल, दिनांक 15 दिसम्बर, 1977 में अनुसूची 'क' में उल्लिखित उक्त भूमि को आरक्षित वन घोषित करते हैं:

अनुसूची "क"

शाल-महुआ

निर्वाह एवं संरक्षण

मिला-मिर्जापुर तलसोल-मिर्जापुर वरगना-कोत

वादा संख्या	सोतखल	1	2	1	2	1	2
1	2	1	2	1	2	1	2
शाल-महुआ	कोतखल	मी० वि० वि०	मी० वि० वि०	मी० वि० वि०	मी० वि० वि०	मी० वि० वि०	मी० वि० वि०
888	1 1 0	914	17 35 0	940	16 12 0	966	15 16 0
889	7 9 0	915	11 14 0	941	4 3 0	967	10 16 0
890	6 18 0	916	9 11 0	942	10 6 0	968	8 14 0
891	8 11 0	917	17 0 0	943	13 6 0	969	7 4 0
892	7 8 0	918	17 13 0	944	12 8 0	970	13 1 0
893	3 7 0	919	5 16 0	945	13 0 0	972	9 13 0
894	8 0 0	920	11 18 0	946	21 14 0	1118	99 0 0
895	3 7 0	921	8 10 0	947	26 16 0	1125-मि०	13 10 0
896	8 0 0	922	5 12 0	948	10 9 0	1126	3 0 0
897	9 0 0	923	8 5 0	949	15 17 0	1129-मि०	39 7 0
898	10 8 0	924	8 10 0	950	13 19 0	1131	609 6 0
899	3 0 0	925	13 5 0	951	14 12 0	1150-मि०	513 9 0
900	12 0 0	926	15 5 0	952	20 12 0	1151	15 19 0
901	12 0 0	927	20 5 0	953	18 9 0		
902	3 12 0	928	16 8 0	954	12 10 0	सम्पूर्ण योग	2318 6 0
903	4 17 0	929	20 14 0	955	10 10 0	या	
904	5 0 0	930	18 4 0	956	15 1 0	1448.94	
905	15 8 0	931	20 19 0	957	10 7 0	एकड़	
906	5 14 0	932	19 3 0	958	10 19 0	या	
907	7 16 0	933	24 0 0	959	10 16 0	586.367	
908	0 9 0	934	20 10 0	960	10 2 0	हैक्टर	
909	22 4 0	935	14 10 0	961	9 3 0		
910	21 8 0	936	13 7 0	962	16 9 0		
911	29 1 0	937	9 9 0	963	18 5 0		
912	11 15 0	938	13 1 0	964	12 14 0	अथवा कि विस्तृत सीमा विवरण में अंकित है।	
913	15 18 0	939	9 2 0	965	9 9 0		

वन सीमा वन सीमा धारण क्षेत्र, वरगना कोत, जिला व तलसोल मिर्जापुर

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर की तिथि	अथवा हस्ताक्षर की तिथि	अथवा हस्ताक्षर की तिथि	अथवा हस्ताक्षर की तिथि	अथवा हस्ताक्षर की तिथि	विशेष
संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	विशेष
1	2	3	4	5	6	7

चरित संख्या 0.1

शाल-महुआ और वनोद्धार के

मालिकों का अंश 0.6 को

31.00 को अंश 0.6 को

11.92 को अंश 0.6 को

शाल-महुआ के क्षेत्र 0.687 के 48.40 253.30 73.30 2.00 सीमा रेखा

पुनः-निर्माण क्षेत्र पर

क्षेत्र सीमा रेखा
प्रमाणित वनाधिकारी
मीरजापुर - वन प्रमाण
क्षेत्र मीरजापुर

Manager (Tech.)
PIU, Varanasi